

फैक्ट सीट

- 1-परियोजना का नाम:- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 के किमी0 239 (सिरसा मोड़) कैम्प रोड़ से शाक्तिफार्म तक मोटर मार्ग का निर्माण।
- 2-प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल(है0 में)-

आरक्षित वन भूमि	-	14.856 है0
सिविल एंव सोयम वन भूमि	-	शून्य है0
वन पचायंत भूमि	-	शून्य है0
निजी भूमि	-	शून्य है0
योग	-	14.856 है0
- 3- प्रस्तावक विभाग का नाम - निर्माण खण्ड/ए0डी0बी0, लोक निर्माण विभाग रुद्रपुर, उधम सिंह नगर।
- 4- वन प्रभाग का नाम - तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी।
- 5- प्रस्ताव बाइडिंग किया गया है- हॉ/नहीं
- 6- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है- हॉ/नहीं
- 7- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2, व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है- हॉ/नहीं
- 8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है- हॉ/नहीं
- 9- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है- हॉ/नहीं
- 10-प्रभावित होने वाले वृक्षों के संख्या की सूची/प्रमाण पत्र सलग्न है- हॉ/नहीं
- 11-बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र सलग्न है- (उक्त मार्ग निर्माण में कोई भी बांज प्रजाति का वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है)
- 12-प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है- (उक्त मार्ग निर्माण में कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है)
- 13-समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची सलग्न है- हॉ/नहीं
- 14-क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है- हॉ/नहीं
- 15-क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में सलग्न है- हॉ/नहीं
- 16-क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है- हॉ/नहीं
- 17-प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना सलग्न है- हॉ/नहीं
- 18-क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है- हॉ/नहीं
- 19-प्रस्तावित क्षेत्र हाथी केरेडोर का हिस्सा है- हॉ/नहीं
- 20-क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है- हॉ/नहीं
- 21-प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है- (पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है)

- 22-क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है- हॉ/नहीं
- 23-यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। हॉ/नहीं
- 24-क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघन हुआ है- हॉ/नहीं
- 25-यदि उल्लघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सलग्न किया जाय।
- 26-सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं- हॉ/नहीं
- 27-वैकल्पिक समरेखण को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट सलग्न किया जाये) सलग्न है।
- 28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है- हॉ/नहीं
(5 है0 से अधिक के प्रकरण में लागू होगा)
- 29-मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है- हॉ/नहीं
- 30-मलवे की योजना मय मानचित्र के सलग्न है- हॉ/नहीं
अथवा
मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सलग्न है- (प्रमाण पत्र सलग्न है)
- 31-राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में सलग्न है- हॉ/नहीं
- 32-क्या प्रस्ताव में सलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में सलग्न हैं-
(यदि छायाप्रतियाँ सलग्न की गयी हैं तो क्या वे सत्यापित हैं) हॉ/नहीं
- 33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र सलग्न है- (उक्त वन भूमि लीज पर नहीं ली जानी है)
- 34-वित्तीय प्रशासनिक / स्वीकृति सलग्न है- हॉ/नहीं
- 35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है- हॉ/नहीं
- 36-क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र सलग्न है- हॉ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैंक्ट सीट एंव चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनायें सलग्न कर दी गयी हैं।


(Er. ASHOK KUMAR)
 Executive Engineer
 Construction Division (A.D.B.)
 P.W.D. Rudrapur (C. S. Nagar)

प्रपत्र-2

परियोजना का नाम- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 के किमी0 239 (सिरसा मोड़) कैम्प रोड़ से शक्तिफार्म तक मोटर मार्ग का निर्माण।

परिशिष्ट

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म।

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

- | | |
|--|---|
| 1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण। | विकास खण्ड सितारगंज में रा0मा0-74 के किमी0 239(सिरसा मोड़) कैम्प रोड़ से शक्तिफार्म तक (12.380 किमी0) मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं सुधारीकरण किया जाना। |
| ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। | संलग्न है। |
| ग) परियोजना की लागत। | रु0- 5478.00 लाख |
| घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। | स्थानीय जनता को यातायात की सुविधा। |
| ड) लागत लाभ विश्लेषण(संलग्न किये जाने के लिए) | संलग्न है। |
| च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। | मार्ग निर्माण कार्य में स्थानीय मजदूरों को रोजगार प्राप्त होगा। |
| 2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण। | संलग्न है। |
| 3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है। | शून्य |
| क) परिवारों की संख्या | शून्य |
| ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या | शून्य |
| ग) पुर्नवास योजना(संलग्न किये जाने के लिए) | शून्य |
| 4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? | नहीं |
| 5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता(वचनवद्धता संलग्न की जाये) | संलग्न है। |
| 6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा। | संलग्न है। |

दिनांक-

स्थान-

नाम एवं हस्ताक्षर

मोहर

(**Er. ASHOK KUMAR**)

Executive Engineer

Construction Division (A.D.B.)

P.W.D. Rudrapur (U. S. Nagar)

प्रस्ताव की क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

प्रपत्र-2.1

परियोजना का नाम- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 के किमी 0 239 (सिरसा मोड़) कैम्प रोड से शाक्तिफार्म तक मोटर मार्ग का निर्माण।

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान-

तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के बाराकोली राजि के अन्तर्गत बाराकोली वन ब्लॉक अ एंव व में प्रस्तावित है।

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

उत्तराखण्ड।

ii) जिला

उधम सिंह नगर।

iii) वन प्रभाग

तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी।

iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

14.856 है।

v) वन की कानूनी स्थिति

आरक्षित वन क्षेत्र।

vi) हरियाली का घनत्व

0.40 से 0.50

vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए।

सलग्न।

viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

सलग्न।

ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी

वन की सीमा पर स्थित है।

x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाए)

नहीं।

xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है। यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।

नहीं।

xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो।

नहीं।

8-प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

सलग्न।

9-क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

नहीं।

10-प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- | | |
|---|------------|
| i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस- पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। | संलग्न है। |
| ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस- पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। | संलग्न है। |
| iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि। | संलग्न है। |
| iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। | संलग्न है। |
| v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। | संलग्न है। |
| 11-जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) | --- |

- | | |
|--|---------------------------|
| 12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल | |
| जिला का भौगोलिक क्षेत्र। | 338700 है० |
| i. जिला का वन क्षेत्र। | 101100 है० |
| ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। | 45 मामले एंव 473.5467 है० |
| iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण | 668.237 है० |
| (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि | --- |
| (ख) वनेत्तर भूमि पर वर्ष 2015-16 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति | --- |
| (क) वन भूमि पर | 206.942 है० |
| (ख) वनेत्तर भूमि पर | --- |

- 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। (प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित।)

दिनांक-

स्थान- हल्द्वानी।

नाम-

प्रभागिय वनाधिकारी
बराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी.

प्रपत्र-2.2

परियोजना का नाम- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 के किमी 0 239 (सिरसा मोड़) कैम्प रोड़ से शाक्तिफार्म तक मोटर मार्ग का निर्माण।

भाग- III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर:

तिथि.....

नाम और पदनाम

स्थान.....

सरकारी मोहर

प्रपत्र-2.3

परियोजना का नाम- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 के किमी 0 239 (सिरसा मोड़) कैम्प रोड़ से शाक्तिफार्म तक मोटर मार्ग का निर्माण।

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर

प्रपत्र-2.4

परियोजना का नाम- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 के किमी 0 239 (सिरसा मोड़) कैम्प रोड़ से शाक्तिफार्म तक मोटर मार्ग का निर्माण।

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

- 17- राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग- II या भाग- III या
भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

तिथि :

नाम और पदनाम

स्थान :

सरकारी मोहर